Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टीए/5938 /2002/उदयपुर

कचरा पुत्र खेमा दादा श्री रतना जाति डांगी निवासी ग्राम ईटाली तहसील सराडा जिला उदयपुर

अपीलार्थी

बनाम

1. मु. मानी बेबा रतना जाति डांगी निवासी ईटाली तहसील सराडा जिला उदयपुर
2. मोडी लाल पुत्र रतना
3. अमृतलाल पुत्र रतना
4. श्रीमती नन्दू पुत्री रतना पत्नी श्री अमरा जाति डांगी निवासी ग्राम कुराडिया तहसील सराडा जिला उदयपुर
5. श्रीमती कडवा पुत्री रतना पत्नी भीमा डांगी निवासी ग्राम बडावली तहसील सराडा जिला उदयपुर
6. श्रीमती भूरी पुत्री रतना पत्नी गांगजी जाति डांगी निवासी ग्राम बडावली तहसील सराडा जिला उदयपुर
7. श्रीमती रम्भा पुत्री रतना पत्नी मावजी जाति डांगी निवासी ग्राम खेडा सलूम्बर तहसील सराडा जिला उदयपुर
8. श्री रूपा पुत्र श्री खेमा जाति डांगी निवासी ग्राम ईटाली तहसील सराडा जिला उदयपुर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा सदस्य
श्री धूकलराम कसवाँ सदस्य

उपस्थित

श्री राजेश गौतम अभिभाषक अपीलार्थी
विपक्षीगण के अभिभाषक अनुपस्थित

<u>निर्णय</u>

दिनांक

1. यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29–8–2002 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण वादीगण ने उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर के न्यायालय में अपीलार्थी प्रतिवादी के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा पेश होने पर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित कुल सात तनकीयात कायम की गई और बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 26–9–2000 के द्वारा वादी का वाद डिक्री किया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होने अपने निर्णय दिनांक 29–8–02 अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि विवादग्रस्त आराजी में स्व. श्री खेमा डांगी का 2/3 हिस्सा था एवं श्री खेमा डांगी अपीलार्थी का पिता था एवं अपीलार्थी श्री खेमा डांगी का जाइन्दा पुत्र होने से खेमा डांगी के बजाय

नामान्तरकरण संख्या 633 एवं नामान्तरकरण संख्या 632 जो दिनांक 20–12–76 को निर्णित किये गये में अपीलार्थी का नाम विरासत से बतौर खातेदार अंकित किया गया था। जिसका ज्ञान प्रत्यर्थी को दिनांक 20–12–76 से ही था। प्रत्यर्थी को उक्त नामान्तरकरण से कोई शिकायत थी तो उसको कानूनी चाराजोही करनी चाहिये थी। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 से3 का निर्णय बिना दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर कयास के आधार पर किया है। तनकी संख्या 4 को अपीलार्थी ने प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित कर दिया था कि अवाप्ति अधिकारी द्वारा विवादित भूमि की किस्म राजस्व नहीं रहने से वाद का श्रवणाधिकार नहीं है। क्योंकि दिनांक 26–8–96 को अपीलार्थी के हक में विवादित भूमि खसरा नम्बर 690 एवं हाल नम्बर 4693 को अवाप्त कर अवार्ड अपीलार्थी के नाम जारी हो चुका था। जिसकी निगरानी राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। जिसमें स्थगन आदेश जारी किया गया है। राजस्व मण्डल के स्थगन आदेश की अवहेलना कर निर्णय पारित किया गया जबकि उनको राजस्व मण्डल के निर्णय तक कार्यवाही स्थगित रखनी चाहिये थी। अपील न्यायालय ने अपील में वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत की गई कानूनी नजीरों का विवेचन नहीं कर आदेश 41 नियम 31 के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है। इसलिये दोनें अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

5. हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रदर्श–10 व प्रदर्श–11 में वादपत्र में अंकित भूमि में खातेदार खेमा पिता केवा डांगी का 2/3 हिस्सा व रोडा पिता पेमा का 1/3 हिस्सा दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्बत 2020से 2023 में भी हिस्सा

पूर्वानुसार दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 326 दिनांक 3–8–71से खेमा के हिस्से की भूमि अपीलार्थी के खातेदारी में दर्ज हो चुकी थी। इसलिये नामान्तरकरण संख्या 632 व 633 से अपीलार्थी के नाम भूमि दर्ज नहीं होनी चाहिये थी।यदि अपीलार्थी भूमि का आसामी(काश्तकार) था तो उक्त भूमि का अंकन शेष कैसे रहा, यह विचारणीय बिन्दु है। नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व खातेदारान के वारिसान को सुना जाना आवश्यक था। एक ही व्यक्ति के नाम भूमि दो बार दो अलग अलग खातेदारों की भूमि अपीलार्थी प्रतिवादी के नाम दर्ज हुई है। जो कानूनन गलत है। वास्तविक भूमि अपीलार्थी के पिता की होती तो एक नामान्तरकरण से अपीलार्थी के नाम आ जाती। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 से 7 का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप किया है और प्रत्येक तनकी बाबत विस्तृत विवेचन किया है। जिसकी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से पुष्टि की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हम द्वितीय अपील के स्तर पर बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवाँ)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य